

उत्तर प्रदेश सरकार  
संस्कृति अनुभाग

संख्या- 564 /चार-2009-अ(कलक)/2007  
तखनक: दिनांक 16 फरवरी 2009

अभिज्ञानता/प्रकाश

भारत के सांख्यान के अनुच्छेद 162 के अर्धीन प्राप्त शान्तिता का प्रयोग करके आ राज्यपाल महोदय सहर्ष उत्तर प्रदेश के वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों को आर्थिक सहायता विषयक निम्न मार्गदर्शक सिद्धान्त निर्धारित करते हैं। यह मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी होने की तिथि से प्रभावी होगा।

1. संक्षिप्त नमूना- यह मार्गदर्शक सिद्धान्त "उत्तर प्रदेश के वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों को आर्थिक सहायता 2009" कहें जायेंगे।

2. उद्देश्य- इस मार्गदर्शक सिद्धान्त का उद्देश्य कला एवं कलाकारों के सर्वक्षण और संरक्षण का योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 60 वर्ष की आयु से अधिक के कलाकारों को स्वतंत्र रूप से कार्यकर्मां को करने एवं आय अर्जित करने के लिये सक्षम नहीं है, को गम्भीर बीमारी के विकल्पा हेतु अस्पताल में भर्ती होने की दशा में उनके द्वारा किये गये व्यय को सामंश आर्थिक सहायता देना है। इसके अतिरिक्त किसी कलाकार की मृत्यु होने की दशा में उसके परिवार को अन्तिम संस्कार एवं तात्कालिक रूप से आर्थिक सहायता देना है।

3. आर्थिक सहायता की प्रणालि

(क) गम्भीर बीमारी की विकल्पा हेतु अस्पताल में भर्ती होने की दशा में कलाकार द्वारा किये गये व्यय के सामंश वास्तविक विना/बाउन्डर मूल रूप में उपलब्ध कराने की शिथि में अधिकतम रु० 1.00 लाख की सहायता दी जायेगी। यह सहायता कलाकारों को अपने जीवन काल में केवल एक बार वास्तविक विना/बाउन्डर सक्षम प्रतिकार से प्रतिवस्तुधारित कर प्रस्तुत करने के पर्यन्त अनुपन्थ होगी।

(ख) कलाकार की मृत्यु होने की दशा में उसके परिवार को उनके अनुभव पर कलाकार के अन्तिम संस्कार एवं तात्कालिक आवश्यकताओं हेतु रु० 5,000/- की धनराशि सम्बन्धित जिलाधिकारी के माध्यम से दी जायेगी।

4. प्रावृता- इस मार्गदर्शक सिद्धान्त के अर्धीन आर्थिक सहायता निम्नलिखित कलाकारों को दी जा सकती है।

1. जो कलाकार संस्कृति निदेशालय द्वारा संचालित "वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों को भासिक पेंशन योजना" के अन्तर्गत सहायता पा रहे हैं।
2. उत्तर प्रदेश के वे कलाकार जो संस्कृति विभाग भारत सरकार द्वारा सन्मालिन पेंशन योजना अन्तर्गत पेंशन पा रहे हैं।

5. वित्तीय सहायता के लिये आवेदन-

इस योजना के अन्तर्गत विकल्पा हेतु सहायता के लिये संचालन आवेदन पत्र के अनुसार आवेदन पत्र आमंत्रित करने हेतु प्रदेश के प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में सूचना दी जायेगी। प्राप्त आवेदन-पत्रों पर निम्नलिखित विशेषज्ञ समिति द्वारा किये गये परीक्षण एवं संस्तुति के आधार पर निदेशक संस्कृति निदेशालय द्वारा आर्थिक सहायता स्वीकार की जायेगी-

1. निदेशक संस्कृति निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ  
अध्यक्ष
2. कुलपति, नातखण्ड संगीत संस्थान विश्वविद्यालय अथवा  
सदस्य
3. सचिव, उ०प्र० संगीत नाटक अकादमी  
सदस्य
4. उपनिदेशक संस्कृति निदेशालय, उ०प्र०  
सदस्य/सचिव

6. आर्थिक सहायता की समाप्ति

- (1) आवेदक द्वारा कोई गलत सूचना देने पर दी गयी आर्थिक सहायता को वैसली भू-राजस्व बकाये की तरह नियन्त्रण की जायेगी।
- (2) प्रत्येक मामले में निदेशक, संस्कृति निदेशालय का निर्णय अन्तिम होगा।

संलग्नक: यथोक्त।

अवनीश कुमार अवस्थी  
सचिव।

संख्या- 564 (1)/यार-2008 तददिनांक

मातृलिपि निम्नलिखित को सूचनाओं एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु मणित-

1. प्रधान महालेखाकार लेखा व हकदारी प्रथम: 2040, इलाहाबाद
2. समस्त प्रमुख, सचिव / सचिव, 2040 शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, 2040।
4. निदेशक, संस्कृति निदेशालय, 2040, लखनऊ
5. निदेशक सूचना, 2040, लखनऊ।

आशा से  
( शासन पताप सिंह )  
अनु सचिव

Government of Uttar Pradesh  
Culture Section

No.-564/IV-09-38(Budget)/2007

Lucknow: Dated 16 February, 2009

Notification/Miscellaneous

In exercise of the powers conferred by Article 162 of the Constitution of India, the Governor is pleased to make the following guiding principles "Financial Assistance to aged artistes of Uttar Pradesh who are in indigent Circumstances, 2009". These guiding principles shall be effective from the date of its notification.

1. Brief Title:- These guiding principles shall be called "Financial Assistance to aged artistes of Uttar Pradesh who are in indigent Circumstances, 2009"

2. Objective:- The objective of these guiding principles under the Survey and Documentation of Art and Artistes Scheme is to provide financial assistance to artistes of the State above 60 years of age, who are incapable of giving performances and earning income, for expenditure incurred in case of hospitalization for treatment of serious illnesses. In addition, in the event of death of the artiste to give his/her family members financial assistance for immediate needs and performing his/her last rites.

3. Amount of Financial Assistance:-

(a) In the event of hospitalization for treatment of a serious illness, the artiste would be given financial assistance up to a maximum of Rs.1.00 lac against furnishing original bills towards actual expenses incurred. This assistance will be given once in a lifetime of the artiste. The original bills of expenditure submitted should be duly countersigned by competent authority.

(b) In the event of death of an artiste, his/her family members would be given on their request a sum of Rs.5,000/- for immediate needs and for performing the last rites of the artiste through the respective district magistrate.

4. Eligibility:- Under these guiding principles, financial assistance will be given to the following artistes:-

1. Those artistes who are drawing pension under the pension scheme operated by the Directorate of Culture, U.P.

2. Those artistes who are drawing pension under the pension scheme operated by the Culture Department, Govt. of India,

**5. Application for Financial Assistance.** - Applications will be invited on prescribed application form appended with this Scheme through notices published in prestigious newspapers of the State. The Director, Directorate of Culture, U.P. will sanction financial assistance on the basis of scrutiny and recommendations of the following Expert Committee:

1. Director, Directorate of Culture, U.P. Lucknow
2. Vice Chancellor, Bhatkhande Sangeet Sansthan
3. Secretary, U.P. Sangeet Natak Akademi
4. Deputy Director, Directorate of Culture, U.P.

**6. Termination of Financial Assistance.**

(1) If the applicant is found to have furnished any false information, financial assistance provided to him/her will be duly recovered in the form of land dues.

In each case the decision of Director, Directorate of Culture will be final.

Enclosed: As above.

**Awatish Kumar Awasthi**  
Secretary

No. 564 (1)/IV-2009 and

Copy to the following for information & ordinary action.

1. Comptroller & Auditor General, U.P. Allahabad.
2. All Principal Secretaries/Secretaries, Govt. of U.P.
3. All Commissioners/ I.M.s. U.P.
4. Director, Directorate of Culture, U.P. Lucknow.
5. Director, Information, U.P. Lucknow.

**By Order,**

**(Chandra Pratap Singh)**  
Under Secretary


**Directorate of Culture, U.P.**

**Financial Assistance Scheme to aged artistes of U.P. who are in**

**indigent circumstances**

**Application Form**

1. Name of the Applicant .....
2. Name of Father/Spouse.....
3. Permanent Address.....



4. Date from which the artiste is resident of U.P. ....
5. Field of Art .....
6. Details of sanction of pension from U.P. State Govt. or Govt. of India:-  
(1) Number and date of the sanctioning letter.  
(2) Amount of sanctioned money.
7. Do you belong to SC/ST (If yes, please attach certificate) .....

I hereby solemnly pledge that the above information is completely true. If any information is found to be false, then the Government has the right to terminate my financial assistance and whatever amount has been given to me as financial assistance can be recovered in the form of land dues.

**Date:**

**Signature of Applicant**

Note: The application form will be considered only if the following

certificates are attached:-

- (1) Certified copy of sanctioning letter of pension.
- (2) High School certificate or age certificate issued by Chief Medical Officer.
- (3) Income certificate issued by Tehsildar.

उत्तर प्रदेश शासन

संस्कृति अनुभाग

संख्या- 585 / यार-09-38(बजट)/2007

दृष्टनंक: दिनांक: 16 फरवरी 2008

अधीनस्थना/प्रकीर्ण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 162 के अधीन प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते श्री राजेश्वर महोदय सहर्ष कला के क्षेत्र में योग्य प्रतिभाशाली छात्रों को आर्थिक सहायता विषयक निम्न मार्गदर्शक सिद्धान्त निर्धारित करते हैं। यह मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

1. संक्षिप्त नाम- यह मार्गदर्शक सिद्धान्त कला के क्षेत्र में "योग्य प्रतिभाशाली छात्रों को आर्थिक सहायता, 2008" रहे जायेंगे।
2. उद्देश्य- इस मार्गदर्शी सिद्धान्त का उद्देश्य कला एवं कलाकारों के प्रोत्थन एवं संवर्धन का नाममात्र अन्तर्गत योग्य छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिससे पढ़ाई के 30 वर्ष की आयु के योग्य एवं प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं को प्रदेश के बाहर किसी प्रतिष्ठित संस्थान में कला एवं संस्कृति के व्यावसायिक अध्ययन के लिये प्रेरणा प्राप्त हो और वे उत्कृष्ट व्यावसायिक कलाकारों के रूप में विकसित हो सकें।
3. विषय एवं क्षेत्र- आर्थिक सहायता निम्नलिखित विधाओं में व्यावसायिक उपाधि/प्रमाण एवं प्रयोग की जायेगी:-
  - (क) भारतीय शास्त्रीय संगीत
  - (ख) भारतीय शास्त्रीय नृत्य
  - (ग) नाट्य
  - (घ) दूर्य कला
  - (ङ) लोक एवं पारम्परिक कलाएँ
  - (च) उपशास्त्रीय संगीत

दुर्लभ कला स्वरूपों में अध्ययन हेतु प्राथमिकता दी जायेगी।

2. पात्रता- आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिये छात्र/छात्राओं में निम्नलिखित अहताओं का होना आवश्यक है:-

1. उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिये।
2. अधिकतम 20वर्ष की आयु होना चाहिये।
3. वयनित विद्या से स्नातक अथवा माध्यम पाठ संस्थान से स्नातक स्नातक होना चाहिये।
4. व्यावसायिक उपाधि/प्रशिक्षण हेतु प्रदेश के बाहर स्थित प्रसिद्ध नामका प्रा.प. संस्थान में प्रवेश या लगे जा प्रमाण पत्र होना चाहिये।
5. अभ्यर्थकों की समस्त सूचना से आगे रु० 1,00,000 तक वार्षिक के आर्थिक नहीं होने चाहिये।

5. अवीक्ष प्रकृति एवं राशि-

1. आर्थिक सहायता यद्यपि व्यावसायिक प्रशिक्षण में प्रत्येक शिक्षण वर्ष में उत्तरीय होने के प्रमाणिक साक्ष्य उपलब्ध करने की दशा में अगले वर्ष देय होगी। किन्तु वर्ष में अभ्यर्थी के कारणों से अगले वर्ष देय पर आर्थिक सहायता समाप्त कर दी जायेगी।

2. प्रत्येक वर्ष 10 छात्र-छात्राओं को आर्थिक सहायता प्रदान किया जाने पर निम्न किंमत कापिंग। बजट में धन की उपलब्धता क अभाव पर भी समस्या घटायी अथवा बढ़ायी जा सकती है।

3. आर्थिक सहायता प्रदेश के बाहर स्थित देश के प्रशिक्षण संस्थान की वार्षिक रकूमन फीस की सीमा अथवा ₹10,25,000/- जो भी कम हो तक प्रदान की जायेगी।

6. वयन- प्रत्येक वर्ष गार जलार्ह में प्रदेश के प्राविणित सनाधार मनो में पिनापना देन के उपरान्त आवेदन पत्र संलग्न फाउण्ड पर आभारित किने जायेगे। निम्नलिखित विवरण शामिल होना किने पने पर्याप्तण पूर्व सम्बन्धित के आभार पर निम्नलिखित सम्बन्धित निदेशात्मक द्वारा जनाकने परतन का सांगान -

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. अपर निदेशक संस्कृति निदेशालय लणक लखनऊ                                    | अपेक्ष        |
| 2. कुलपति/सातखर्द समीत संस्थान विश्वविद्यालय अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी | सदस्य         |
| 3. राक्षि, उडुगुणगति गारक अफावनी  | सदस्य         |
| 4. निदेशक/मार्गदर्शक नाट्य अकादमी   | सदस्य         |
| 5. शासन द्वारा नामित 02 प्रतिनिधित कलाकार                                   | सदस्य         |
| 6. संयुक्त निदेशक संस्कृति निदेशालय, लणक                                    | सदस्य-साम्बिध |

7. भुगतान - वयनित छात्र/छात्राओं को आर्थिक सहायता का भुगतान प्रशिक्षण संस्थान की उद्योग फीस के पूरा किल रूप खान/लानाओं द्वारा किले पने गुणान की नर न्नीम विवेकालय में जायस कवान पर आभार के रूप में ड्रामट/बैंक के माध्यम से किया जायेगा।

8. आर्थिक सहायता की सम्पत्ति- आर्थिक सहायता निम्न कारणों से सम्पन्न की जा सकती है-

1. छात्र अथवा छात्रा क किसी शैक्षणिक सत्र में अनुत्तीर्ण होने पर।
  2. छात्र/छात्रा का किन्ही कारणों से शैक्षणिक संस्थान छोड़ने अथवा निष्काशित होने की तथा में।
  3. आवेदन-पत्र में कोई गलत सूचना दिने जाने पर आर्थिक सहायता निरस्त करते हुये पूर्व में दी गयी आर्थिक सहायता की परतली नू-सालर्य बकाय की चार्जि की जा सकती है।
  4. प्रत्येक मामले में निदेशक/संस्कृति विवेकालय का निम्न अधिन कर्ण।
- संलग्नक सम्पत्ति!**

अतनात्र कमार अतलजा  
सावेद।

संख्या- 565 (1) / वाए-2008 लखनऊ,

प्रतिनिधि निम्नलिखित पत्र संपनार्थ रूप आपरपत्र फार्मवाही देन भेजिए-

1. प्रशासक महालेखाकार, लेखा व रूपवारी, प्रभन, लणक, लखनऊ।
2. सम्पन्न प्रमुख सावेद /संज्ञित, लणक।
3. सम्पन्न माहलायकत /जिलाधिकारी, लणक।
4. निदेशक संस्कृति निदेशालय लणक लखनऊ।
5. निदेशक, सूचना, लणक, लखनऊ।

आशा है  
52  
(संस्कृत पत्राग लिखित)  
अनु सावेद

Government of Uttar Pradesh  
Culture Section

No.- 565 /N V-2009-38 (Budget)/2007  
Lucknow: Dated 16 February, 2009

Notification/Miscellaneous

In exercise of the powers conferred by Article 162 of the Constitution of India, the Governor is pleased to make the following guiding principles "Financial Assistance to Deserving Talented Students in the field of Art, 2009". These guiding principles shall be effective from the date of its notification.

1. Brief Title:- These guiding principles shall be called "Financial Assistance to Deserving Talented Students in the field of Art, 2009".

2. Objective:- The objective of these guiding principles under the Survey and Documentation of Art and Artists Scheme is to provide financial assistance to deserving students of the State who are up to 30 years of age and can be inspired to undertake professional study of art and culture in any prestigious institution outside the State and develop into outstanding professional artistes

3. Subject & Area:-

Financial assistance will be provided for professional degree/training in the following fields:-

- (a) Indian Classical Music.
- (b) Indian Classical Dance
- (c) Theatre
- (d) Visual Arts
- (e) Folk & Traditional Arts
- (f) Semi-Classical Music

Priority will be given to the study of rare art forms.

4. Eligibility:- For receiving financial assistance, the student should fulfil the following essential eligibility criteria :-

- (a) Should be a permanent resident of Uttar Pradesh.
- (b) Age should not be more than 30 years.
- (c) Graduate or equivalent degree holder from any recognized institution in the chosen field of art.



- (d) Certificate or proof of securing admission for professional degree/training in any recognized prestigious institution outside the State.
- (e) The total income of parents of the students should not exceed Rs. 1,00,000 lac per annum.

5. Duration, Nature and Amount -

- 1. Financial assistance in the chosen professional training will be due in the succeeding year after providing certified proof of passing the previous academic year. In the event of the candidate failing to pass, financial assistance shall be discontinued.
- 2. Each year financial assistance will be considered for 10 students. The number of students can be increased or decreased on the basis of availability of funds in the budget.
- 3. Financial assistance will be given to the extent of annual tuition fees of the chosen training Institute located outside the State or Rs. 25,000/- whichever is less.

6. Selection:- Every year after advertising in prestigious newspapers of the State in the month of July, applications shall be invited in the proforma appended. The Director, Directorate of Culture, U.P. will sanction financial assistance on the basis of scrutiny and recommendations of the following expert committee:-

- 1. Additional Director, Directorate of Culture, U.P. **Chairman**
- 2. Vice Chancellor, Bhalkhande Sangeet Sanshan **Member**  
Or his nominee
- 3. Secretary, U.P. Sangeet Natak Akademi **Member**
- 4. Director, Bhartendu Natya Akademi **Member**
- 5. Two prestigious Artist nominated by Govt. **Members**
- 6. Joint Director, Directorate of Culture, U.P. **Member Secretary**

7. Payment:- The selected students shall be given financial assistance as reimbursement of the tuition fees of the Institute through draft/cheque after submitting the original bills of tuition fees and the original receipt of the payment made by the student against that bill.

8. Termination of Financial Assistance - The financial assistance can be terminated on the following grounds -

1. Failing in any academic session.
2. The student leaving the Institute or being expelled from the Institute for whatever reasons.

3. For furnishing false information in the application form, the financial assistance so far disbursed to the students will be recovered in the form of land revenues.

In each case, the decision of the Director, Directorate of Culture, U.P. shall be final.

Enclosed: As above.

Awanish Kumar Awasthi  
Secretary

No. - 565 (I)/IV-2009/did.

Copy to the following for information and necessary action:-

1. Comptroller & Auditor General, U.P. Allahabad.
2. All Principal Secretaries/Secretaries, Govt. of U.P.
3. All Commissioners/D.M.s, U.P.
4. Director, Directorate of Culture, U.P. Lucknow
5. Director, Information U.P. Lucknow

By Order



(Dharendra Pratap Singh)  
Under Secretary

**Directorate of Culture U.P.**  
**Financial Assistance to Deserving Talented Students in the field of Art**  
Application Form

Attach  
Photograph

1. Art/Discipline in which training is desired .....
2. Name of the Applicant .....
3. Date of Birth (Please give age certificate).....
 

Date	Month	Year
4. Name of Father/Husband .....
5. Present Address for correspondence .....
6. Permanent Address .....

7. Do you belong to Scheduled Caste/Scheduled Tribe (If yes, then attach certificate).....

8. Educational qualifications .....

Name of School & Location	Date of Admission and Leaving the School	Examinations Passed

9. Annual income of the parent/guardian from all sources. (Please attach income certificate issued by District Magistrate/ Tehsildar)
10. Name of the recognized training Institute located outside the State in which admission is taken.....
  - (a) Name of Degree/ Training for which admission is taken .....
  - (b) Certificate/Document for getting admission .....
11. Details of Programmes performed .....

- 12. Details of Awards received, if any .....
- 13. Details of certificates attached with the Application Form.....
  - (1).....
  - (2).....
  - (3).....
  - (4).....

I hereby solemnly pledge that the above information is completely true.  
If any description is found to be false, then the Director, Directorate of Culture, U.P. has the right to terminate my financial assistance and to recover the amount disbursed to me in the form of land dues.

**Date:** \_\_\_\_\_ **Signature of the student**

प्रयक

अवनीश कुमार अवस्थी

स्वीकृत

उ.प्र शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी

उत्तर प्रदेश।

सरकारी अनुभाग

द्वारा-प्रदेश के तहसील क्षेत्र में खुले मंच (प्लेगार्ड) के निर्माण की योजना की

संबंध में दिशा-निर्देश।

लखनऊ दिनांक 27 फरवरी, 2009

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में मंच यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रदेश के तहसील क्षेत्रों में खुले मंच (प्लेगार्ड) के निर्माण की योजना सांस्कृतिक गतिविधियों को सुचारु रूप से संचालित करने एवं उपलब्ध मनोरंजन के साधनों के समुपयोग एवं जनसाधन को उत्तम समुचित लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से हेतु सरकारि विभाग द्वारा 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में संचालित की जानी है। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु सम्बन्ध विभागाधारित गिनलिखित मार्गदर्शी नीति प्रतिपादित किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

- 1- इस योजना के अन्तर्गत तहसील क्षेत्र में मंच एवं ग्रीनरूम की स्थायी व्यवस्था बाल, खुले प्लेगार्ड का निर्माण कराया जायगा, जिसके द्विय न्यूनतम 50 वर्ग मी० X 30 वर्ग मी० समतल विकसित भूमि, जिसमें आवागमन के साधन उपलब्ध हों, की आवश्यकता होगी। खुले / मुक्ताकाशी मंच के निर्माण हेतु स्थानीय स्तर पर जिलाधिकारी द्वारा निशुल्क भूमि उपलब्ध करायी जायेगी।
- 2- योजना का क्रियान्वयन लोक निर्माण विभाग कार्यदायी संस्था द्वारा तैयार किया गया मानक आगणन अनु सन्नित लागत रु० 19.71 लाख के अनुसार खुला मंच / मुक्ताकाशी मंच का निर्माण कराया जायेगा।
- 3- इस निर्माण कार्य में निम्नलिखित प्रावधान रखे जायेंगे:-
  - 1- आकिस रुम :- 3मी० X 3मी० (एक)
  - 2- ग्रीन रुम (दो) - 4.5 मी० X 4.5 मी० (पुरुष व महिला)
  - 3- स्टैंड - 9.0मी० चौड़ा X 15.25मी० लम्बा X 0.90 मी० ऊंचा (शेड के साथ)
  - 4- शौचालय - दो (महिला एवं पुरुष ग्रीन रुम से सम्बन्ध)
  - 5- इन्डिया मार्क - II हेल्थमप
  - 6- आन्तरिक विद्युत वायरिंग

- 4- जिलाधिकारी कार्यदायी संस्था का चयन अपने स्तर से भी कर सकते हैं परन्तु लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाये गये मानक आगणन के अनुसार ही कुल लागत रु० 19.71 लाख के अन्तर्गत ही सम्पूर्ण कार्य कराया जायेगा।

5- खुले मंच(क्रिआगृह)के रख-रखाव के लिये एक समिति निम्नवत् गठित की जायेगी-

1-	संबन्धित जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2-	संबन्धित मुख्य विकास अधिकारी	उपाध्यक्ष
3-	संबन्धित उप जिलाधिकारी	सचिव
4-	संस्कृति विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
5-	संबन्धित जनपद के सूचना अधिकारी	सदस्य
6-	संबन्धित नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी अथवा संबन्धित ग्राम सभा के ग्राम प्रधान	सदस्य

- 6- इस हेतु शनराशि निदेशक, संस्कृति के माध्यम से सम्बन्धित जिलाधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा।
- 7- योजना के अन्तर्गत प्रथम आगत प्रवृत्त लिखान्त के आधार पर पहले प्राप्त प्रस्तावों पर भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित होने पर शनराशि पट्टे अवमुक्त की जायेगी।

भवदीय

(अवनीश कुमार अवस्थी)  
सचिव।

पुष्पाकन संस्था एवं विनिक यथाकर्त।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -
- 1- निदेशक, संस्कृति, निदेशालय, 3090 जवाहर भवन, लखनऊ।
  - 2- प्रमुख अभियन्ता, आंक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
  - 3- महाप्रबन्धक, 3090 राजकीस निर्माण निगम लि, गामतीनगर, लखनऊ।
  - 4- निदेशक, सी०एण्ड डी०एस० जल निगम, लखनऊ।

आज्ञा से,

(धीरेन्द्र प्रताप सिंह)  
अनु सचिव।

## उ०प्र० वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों की मासिक पेंशन की नियमावली, 1985 में संशोधन

वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों को, जिन्होंने अपना पूरा जीवन कला एवं संस्कृति की आराधना में लगा दिया, परन्तु वृद्धावस्था व खराब स्वास्थ्य के कारण वे अपनी जीविका उपार्जन में असमर्थ हो गये हैं, को मासिक पेंशन देने की योजना है। योजना का कार्यान्वयन निम्नलिखित नियमावली में दिये गये नियमानुसार किया जायेगा :-

क्र.सं.	नियमावली के मूल प्रस्तर/बिन्दु	नियमावली के मूल प्रस्तर/बिन्दु जिसमें संशोधन
1.	यह नियमावली "उ०प्र० वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों को मासिक पेंशन नियमावली, 1985" कही जायेगी।	यह नियमावली "उ०प्र० वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों को मासिक पेंशन नियमावली, 1985 (संशोधित)" कही जायेगी।
2. पात्रता	1-कला एवं संस्कृति के विकास में विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण योगदान किया हो अथवा जिन्होंने उत्कृष्ट ख्याति अर्जित की हो और जिनके कार्य को उच्चकोटि की मान्यता मिली हो। 2-प्राथी की आय समस्त स्रोतों से रू० 500/-प्रतिमाह से अधिक न हो। 3-प्राथी की आयु 60 वर्ष से कम न हो। 4-प्राथी उत्तर प्रदेश की स्थाई निवासी हो।	1-वर्तमान प्राविधान के अन्तर्गत वे ही कलाकार पात्र हों जिनका सम्बन्धित क्षेत्र/विधा में न्यूनतम 10 वर्ष कला प्रदर्शन जीवन यापन का मुख्य साधन रहा हो। पेंशन हेतु पात्रता/अर्हता पर वितरण हेतु भारत सरकार द्वारा प्राविधानित पेंशन आवेदन प्रपत्र प्रस्तर-8-12 की सूचनाओं को भी आधार बनाया जायेगा। 2-वर्तमान में प्राविधानित रू० 500/-प्रतिमाह नहीं रह गया है। "भारत सरकार की योजना के प्राविधान के अनुरूप रू० 2000/- मासिक आय तक के अभ्यर्था पेंशन हेतु अर्ह माने जायें" 3-प्राथी की आयु 60 वर्ष से कम न हो। 4-प्राथी उत्तर प्रदेश की स्थाई निवासी हो।
3.	मासिक पेंशन की धनराशि रू० 1000/- से अधिक नहीं होगी। यह शुद्ध नेट होगी और इस पर कोई महंगाई भत्ता व अन्य भत्ता देय नहीं होगा।	वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों को भारत सरकार के प्राविधान के अनुरूप रू० 2000/- प्रतिमाह दिया जाय। अतः इस प्रस्तर-3 में रू० 1000/- के स्थान पर रू० 2000/- रख दिया जाय।
4-पेंशन की अवधि	1-मृत्यु की तिथि तक पेंशन देय होगी। मृत्यु के उपरान्त यदि उसकी पेंशन की धनराशि भुगतान करना अवशेष रह जाय तो उसका भुगतान उसके कानूनी	1-पेंशन प्राप्त कर्ता की मृत्यु के उपरान्त भी पेंशन, उसके पति अथवा पत्नी जैसी भी स्थिति हो, को मृत्यु तक दिया जाय।

भारत  
17/10/85

	<p>उत्तराधिकारियों अथवा उसके द्वारा लिखित वसीयत के अनुसार किया जायेगा।</p> <p>2-पेंशन को हर वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में जीवित होने का प्रमाण पत्र देना होगा तभी पेंशन जारी रहेगी।</p>	<p>2-पेंशनर को हर वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में जीवित होने का प्रमाण-पत्र देना होगा तभी पेंशन जारी रहेगी।</p>
<p>5-आवेदन देने की रीति</p>	<p>1-इस नियमावली के अधीन पेंशन की स्वीकृति के लिए आवेदन-पत्र अनुलग्नक में दिये गये प्रपत्र में निदेशक, संस्कृति, उOप्रO, जवाहर भवन, लखनऊ को दिया जायेगा।</p> <p>2- आवेदन पत्र के साथ (i) तहसीलदार से अन्यून श्रेणी के राजस्व विभाग के किसी अधिकारी से मासिक आय का प्रमाण पत्र और</p>	<p>1-इस नियमावली के अधीन पेंशन की स्वीकृति के लिए आवेदन-पत्र अनुलग्नक में दिये गये प्रपत्र में निदेशक, संस्कृति, उOप्रO, जवाहर भवन, लखनऊ को दिया जायेगा।</p> <p>2- आवेदन पत्र के साथ (i) तहसीलदार से अन्यून श्रेणी के राजस्व विभाग के किसी अधिकारी से मासिक आय का प्रमाण पत्र और</p>
<p>6-पेंशन के भुगतान का तरीका</p>	<p>(ii) आयु का प्रमाण-पत्र देना होगा।</p> <p>1-स्वीकृति मासिक पेंशन की धनराशि लखनऊ में चेक द्वारा तथा लखनऊ के बाहर के स्थानों पर बैंक ड्राफ्ट से संस्कृति निदेशालय द्वारा नियमित रूप से सम्बन्धित व्यक्तियों को त्रैमासिक आधार पर भेजी जायेगी।</p>	<p>(ii) आयु का प्रमाण-पत्र देना होगा।</p> <p>1- पेंशन का भुगतान छमाही के आधार पर चेक/बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाय तथा यदि संभव हो तो पेंशन का वितरण बैंक खाते के माध्यम से भुगतान करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। सभी पेंशन प्राप्तकर्ता स्टेट बैंक आफ इण्डिया में अपना खाता खुलवायें तथा धनराशि उनके खाते में प्रेषित की जाय।</p>
<p>7-पेंशन स्वीकृत करने का तरीका तथा अधिकारी</p>	<p>1- पेंशन स्वीकृत करने का अधिकार शासन हेतु गठित समिति को होगा।</p> <p>2- समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे :-</p> <p>(i) सचिव, संस्कृति - अध्यक्ष</p> <p>(ii) वित्त विभाग का प्रतिनिधि जो उपसचिव के पद से नीचे का न हो - सदस्य</p> <p>(iii) नियोजन विभाग का प्रतिनिधि, जो उपसचिव के पद से नीचे का न हो - सदस्य</p> <p>(iv) निदेशक, संस्कृति निदेशालय सदस्य/सचिव</p>	<p>1- पेंशन स्वीकृत करने का अधिकार शासन द्वारा इस प्रयोजन हेतु गठित समिति को होगा।</p> <p>2- समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे :-</p> <p>(i) निदेशक, संस्कृति - अध्यक्ष</p> <p>(ii) वित्त विभाग का प्रतिनिधि जो उपसचिव के पद से नीचे का न हो - सदस्य</p> <p>(iii) नियोजन विभाग का प्रतिनिधि; जो उपसचिव के पद से नीचे का न हो - सदस्य</p> <p>(iv) निदेशक, संस्कृति निदेशालय सदस्य/सचिव</p>

(2)



	<p>(V) संगीत, नृत्य, नाटक, ललित कला के प्रत्येक क्षेत्र से एक-एक विशिष्ट व्यक्ति जो शासन द्वारा तीन वर्ष के लिए नामित किये जायेंगे। — चार सदस्य</p> <p>3- यह समिति का अधिकार होगा कि वह प्रार्थना पत्रों की प्रविष्टियों के आधार पर या प्रार्थना पत्रों की प्रविष्टियों तथा साक्षात्कार के आधार पर पेंशन स्वीकृत करें।</p> <p>4- निदेशक, संस्कृति निदेशालय प्राप्त प्रार्थना पत्रों को आवश्यक जाँच करके जो प्रार्थना पत्र पूर्ण हों और जिन्हें नियमावली पेंशन स्वीकृत की जा सकती है। समिति के सम्मुख अपनी संस्तुति के साथ विचारार्थ प्रस्तुत करेंगे।</p> <p>5- समिति की बैठक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य बुलाई जायेगी और आवश्यकता पड़ने पर समिति के अध्यक्ष(निदेशक, संस्कृति विभाग की स्वीकृत से कभी भी बुलाई जा सकती है।</p> <p>6- उपनियम (1) अर्थात् गठित समिति की स्वीकृति पर शासन द्वारा पेंशन भुगतान किये जाने के आदेश जारी किये जायेंगे।</p> <p>7-पेंशन स्वीकृति के आदेश की एक प्रतिलिपि महालेखाकार, उOप्रO इलाहाबाद को पृष्ठांकित की जायेगी।</p>	<p>(V) संगीत, नृत्य, नाटक, ललित कला के प्रत्येक क्षेत्र से एक-एक विशिष्ट व्यक्ति जो शासन द्वारा तीन वर्ष के लिए नामित किये जायेंगे। — चार सदस्य</p> <p>3- यह समिति का अधिकार होगा कि वह प्रार्थना पत्रों की प्रविष्टियों के आधार पर या प्रार्थना पत्रों की प्रविष्टियों तथा साक्षात्कार के आधार पर पेंशन स्वीकृत करें।</p> <p>4- निदेशक, संस्कृति निदेशालय प्राप्त प्रार्थना पत्रों को आवश्यक जाँच करके जो प्रार्थना पत्र पूर्ण हों और जिन्हें नियमावली पेंशन स्वीकृत की जा सकती है। समिति के सम्मुख अपनी संस्तुति के साथ विचारार्थ प्रस्तुत करेंगे।</p> <p>5- समिति की बैठक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य बुलाई जायेगी और आवश्यकता पड़ने पर समिति के अध्यक्ष(निदेशक, संस्कृति विभाग की स्वीकृत से कभी भी बुलाई जा सकती है।</p> <p>6- उपनियम (1) अर्थात् गठित समिति की स्वीकृति पर निदेशक, संस्कृति द्वारा पेंशन भुगतान किये जाने के आदेश जारी किये जायेंगे।</p> <p>7- पेंशन स्वीकृति के आदेश की एक प्रतिलिपि महालेखाकार, उOप्रO इलाहाबाद को पृष्ठांकित की जायेगी।</p>
<p>8-पेंशन का सवितरण और लेख</p>	<p>1-निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उOप्रO राज्य सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत के आदेश निर्गत होने से दो माह के अन्दर पेंशन की धनराशि को नियमित भुगतान</p>	<p>1-निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उOप्रO राज्य सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत के आदेश निर्गत होने से दो माह के अन्दर पेंशन की धनराशि का नियमित भुगतान किया जाना सुनिश्चित करेंगे।</p>